National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF), to be Protected Systems for the purpose of said Act and authorizes the following personnel to access the protected systems, namely :-

a) any designated employee of the National Centre for Medium Range Weather Forecasting (NCMRWF) authorized in writing by the Head, NCMRWF to access the protected system;

b) any team member of a contractual managed service provider or a third-party vendor who have been authorized in writing by the Head, NCMRWF for need- based access;

c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorized in writing by the Head, NCMRWF on a case-to-case basis; and

d) any visiting students and Research scholars who are authorized in writing by the Head, NCMRWF on a case-to-case basis.

2. The Notification shall come into force on the date of its publication in official Gazette.

[F. No. B-12020/1/2023-Estt (e-file-428)]

V.S. PRASAD, Head

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था (नीति आयोग)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 136.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति नीति आयोग में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नीति आयोग (पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन सारणी में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.-** उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहर्ता.-** वह व्यक्ति .-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**
(1)	(2)	(3)
पुस्तकालय और सूचना अधिकारी	1* (2025) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स स्तर |	**चयन अथवा अचयन पद |**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा**
(4)	(5)	(6)
स्तर-11 (67700-208700 रुपए)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(10)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(11)
संयुक्त पद्धति द्वारा: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्था के अधिकारी, - (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; अथवा (ii) जिन्होंने संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो, अथवा

(iii) जिन्होंने संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-9 (53100-167800 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो, अथवा

(iv) जिन्होंने संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में आठ वर्ष की सेवा की हो, अथवा

(v) जिन्होंने संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) या समतुल्य पद में नियुक्ति के पश्चात नियमित आधार पर उस श्रेणी में नौ वर्ष की सेवा की हो, और

(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:-

अ. आवश्यक

(अ) अर्हताएं: **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।**

(आ) अनुभव: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में पांच वर्षों का व्यावसायिक अनुभव।

आ. वांछनीय

(अ) अर्हताएं: **किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।**

(आ) अनुभव: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, स्वायत्त निकाय या कानूनी संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में पुस्तकालय की गतिविधियों के **कंप्यूटीकरण में एक वर्ष का अनुभव।**

टिप्पण1. - वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में कोई विभागीय सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, जिसने नियुक्ति के पश्चात् उक्त श्रेणी में नौ वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो तथा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से **पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में न्यूनतम स्नातक उपाधि धारक हो, एवं जिसने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह का अंदरूनी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त किया हो, वह बाह्य अभ्यर्थियों के साथ-साथ विचारणीय होगा,** परंतु यदि उक्त विभागीय अधिकारी का चयन पद पर नियुक्ति हेतु किया जाता है, **तो इस पद को पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो,** यह पद एक निर्धारित अवधि हेतु **प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर भरा जाएगा। प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर पुन: उक्त विभागीय अधिकारी को इस पद हेतु विचारित किए जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा।**

टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3. प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किस परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए, विभागीय पुष्टिकरण समिति जिसमें शामिल हैं:- 1. संयुक्त सचिव अथवा सलाहकार जो प्रशासन के प्रभारी हों – अध्यक्ष;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

2. निदेशक (पुस्तकालय) – सदस्य; 3. उप सचिव अथवा निदेशक जो प्रशासन के प्रभारी हों– सदस्य |	

[फा. सं. A-11013/2/2022- प्रशा.IV]

डी.पी. सिंह, अवर सचिव

NATIONAL INSTITUTION FOR TRANSFORMING INDIA (NITI AAYOG)

New Delhi, the 11th August, 2025

G.S.R. 136.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Officer in the NITI Aayog, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the NITI Aayog, (Library and Information Officer) Recruitment Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.-** The number of the post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. –** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Library and Information Officer.	1*(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Non Ministerial, Gazetted, Group A.	Level-11 (Rs.67700-208700/-)	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	**(8)**	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Two years for promotees.	Deputation (including short-term contract) or promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Composite method [Deputation (including short-term contract) or promotion]: Officers under the Central Government or State Government or Union territories Administration or Statutory Organisation or Autonomous Organisation or Public Sector Undertaking or recognised University or recognised research Institution, – (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 (Rs. 56100-177500) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 9 (Rs. 53100-167800) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iv) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 8 (Rs. 47600-151100) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (v) with nine years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 7 (Rs. 44900-142400) of the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- **Essential:** (A) **Qualifications:** Master Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute. (B) **Experience:** Five years' professional experience in a library under the Central Government or State Government or Union	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1.Joint Secretary or Adviser in charge of the Administration – Chairman; 2.Director (Library) – Member; 3.Deputy Secretary or Director in charge of the Administration – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

territory Administration or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution. **B. Desirable:** (A) **Qualifications:** Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. (B) **Experience:** One year experience of computerising library activities in a library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution. **Note 1.-** The departmental Assistant Library and Information Officer in level-7 (Rs. 44,900 – 1,42,400/-) in the pay matrix with nine years' regular service rendered after appointment thereto in the grade possessing at least Bachelor Degree in Library Science or Library and Information Science from a recognised University or Institute and successfully completed in-house training of two to four weeks in the field of Library and Library Science will also be considered along with outsiders, and if the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion, otherwise, the post is to be filled by deputation (including short-term contract) for a prescribed period at the end of which the departmental officer will again be afforded the opportunity to be considered for appointment to the post. **Note 2.-** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3.-** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years' as on the closing date of receipt of applications.		

[F. No. A-11013/2/2022- Admin IV]

D.P. SINGH, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.02 15:20:48 +05'30'